विकास आयुक्त कार्यालय
SRLM प्रकोष्ठ
ब्लाक–चार, प्रथम तल, कक्ष क्रमांक–38 (CIV)
इंद्रावती भवन, नया रायपर, छत्तीसगढ

बिहान

Ph. No. 0771-2510745, Fax No. 0771-2420222, E-mail – mdcgsrlm@gmail.com

क्रमांक 426 /NRLM/LH/2017 नया रायपुर, दिनांक 29/04/2017

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत– रायपुर/गरियाबंद/धमतरी/
बलरामपुर/सरगुजा/बस्तर/राजनांदगांव
छत्तीसगढ़

विषय :– महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP) के क्रियान्वयन विषयक।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का क्रियान्वयन राज्य के 7 जिले (बलरामपुर, राजनांदगांव, बस्तर, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद एवं सरगुजा) के 12 विकासखण्ड (बलरामपुर, वाड्रफनगर, राजनांदगावं, मानपुर, बस्तर, बस्तानार, आरंग, तिल्दा, कुरूद, छुरा, फिगेंश्वर एवं लखनपुर) में किया जाना है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आगामी 03 माह में निम्नानुसार कार्यो का संपादन किया जाना है–

1. परियोजना का क्रियान्वयन 7 जिले के 12 विकासखण्ड के 600 ग्रामों में क्रियान्वित किया जावेगा परन्तु प्रथम वर्ष में कुल 240 ग्रामों (प्रति विकासखण्ड–20 ग्राम) का चयन कर क्रियान्वित किया जावें।
2. जिले में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP) का उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन माह मई में प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में किया जावें।
3. महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP) हेतु ग्राम का चयन 30 अप्रैल, 2017 तक पूर्ण कर लिया जावे।
4. सीआरपी चयन– लक्षित ग्रामों में प्रति ग्राम 1 कृषि सीआरपी एवं 1 पशुसखी का चयन ग्राम संगठन के माध्यम से निर्धारित सीआरपी पॉलिसी के तहत् दिनांक 10 मई, 2017 तक पूर्ण कर लिया जावें।
5. राज्य संसाधन व्यक्ति (एसआरपी) प्रति विकासखण्ड 2 कृषि एसआरपी एवं 2 पशुपालन एसआरपी का चयन कर सूची 30 अप्रैल, 2017 तक प्रशिक्षण हेतु राज्य कार्यालय (आजीविका–शाखा) को उपलब्ध कराया जावें।
6. प्रति विकासखण्ड 2 चयनित कृषि एसआरपी का प्रशिक्षण दिनांक 11 से 13 मई, 2017 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजा जाना सुनिश्चित किया जावें।
7. प्रशिक्षित एसआरपी द्वारा चयनित कृषि सीआरपी का प्रशिक्षण 30 मई, 2017 तक पूर्ण कर लिया जावें।
8. परियोजना अंतर्गत ग्राम संगठन के माध्यम से लक्षित ग्रामों में प्रति ग्राम 100 महिला किसान का चयन 30 मई, 2017 तक पूर्ण कर लिया जावें।

9. चयनित महिला किसानों का प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर कृषि सीआरपी द्वारा 15 जून, 2017 तक पूर्ण किया जावें साथ ही प्रथम सीआरपी चक्र दिनांक 1 से 15 जून, 2017 तक चलाया जावें। प्रति 5 ग्राम हेतु 3 आंतरिक सीआरपी पुराने समुदाय आधारित संवहनीय कृषि (सी.एम.एस.ए) ग्रामों से उपलब्ध कराया जावें।
10. सभी लक्षित ग्रामों में कृषि उपकरण बैंक ग्राम संगठन स्तर पर दिनांक 15 जून, 2017 तक स्थापित किया जावें, जिस हेतु प्रति कृषि उपकरण बैंक राशि रूपये– 1 लाख 50 हजार रूपये का प्रावधान है। कृषि उपकरण बैंक में निम्नानुसार कृषि उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जावें। (मार्कर, कोनोविडर, अंबिकाविडर, पावरविडर, गेहूँ वीडर, साइकिल हो, फूट स्प्रैयर, ग्रार्न्डर मशीन, शाइथ एवं आधुनिक अन्य कृषियंत्र स्थापित किया जा सकता है।)

कृपया उपरोक्तानुसार परियोजना के क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करें।

28.4.17

(सुरेश त्रिपाठी)
संयुक्त मिशन संचालक NRLM
विकास आयुक्त कार्यालय
इंद्रावती भवन, नया रायपुर

पृ.क्रमांक 427 /NRLM/LH/2017 नया रायपुर, दिनांक 29/04/2017

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, जिला– ..... संबंधित को ओर सूचनार्थ।
2. नोडल अधिकारी, जिला– ..... संबंधित को ओर सूचनार्थ।

28.4.

संयुक्त मिशन संचालक NRLM
विकास आयुक्त कार्यालय
इंद्रावती भवन, नया रायपुर

दिनांक 26 अप्रैल, 2017 को आयोजित उन्मुखीकरण कार्यशाला
महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP)
स्थानः– इंद्रावती भवन, नया रायपुर

(कार्यवाही – विवरण)

दिनांक 26.04.2017 को इंद्रावती भवन, नया रायपुर में राज्य स्तरीय महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP) हेतु उन्मुखीकरण कार्यशाला हेतु संयुक्त मिशन संचालक, की अध्यक्षता में जिला/विकासखण्ड में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया था। जिसमें निम्नांकित बिन्दुओं पर चर्चा कर उन्मुखीकरण कार्यशाला हेतु निर्णय लिया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP) का क्रियान्वयन राज्य के 7 जिले (बलरामपुर, राजनांदगांव, बस्तर, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद एवं सरगुजा) के 12 विकासखण्ड (बलरामपुर, वाड्रफनगर, राजनांदगावं, मानपुर, बस्तर, बस्तानार, आरंग, तिल्दा, कुरूद, छुरा, फिगेंश्वर एवं लखनपुर) में किया जावेगा।
2. जिले में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP) का उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन माह मई में प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में किया जावें।
3. परियोजना का क्रियान्वयन 7 जिले के 12 विकासखण्ड के 600 ग्रामों में क्रियान्वित किया जावेगा परन्तु प्रथम वर्ष में कुल 240 ग्रामों (प्रति विकासखण्ड–20 ग्राम) का चयन कर क्रियान्वित किया जावें।
4. महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP) हेतु ग्राम का चयन 30 अप्रैल, 2017 तक पूर्ण कर लिया जावे।
5. सीआरपी चयन– लक्षित ग्रामों में प्रति ग्राम 1 कृषि सीआरपी एवं 1 पशुसखी का चयन ग्राम संगठन के माध्यम से निर्धारित सीआरपी पॉलिसी के तहत् दिनांक 10 मई, 2017 तक पूर्ण कर लिया जावें।
6. राज्य संसाधन व्यक्ति (एसआरपी) प्रति विकासखण्ड 2 कृषि एसआरपी एवं 2 पशुपालन एसआरपी का चयन कर सूची 30 अप्रैल, 2017 तक प्रशिक्षण हेतु राज्य कार्यालय (आजीविका–शाखा) को उपलब्ध कराया जावें।
7. प्रति विकासखण्ड 2 चयनित कृषि एसआरपी का प्रशिक्षण दिनांक 11 से 13 मई, 2017 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजा जाना सुनिश्चित किया जावें।
8. प्रशिक्षित एसआरपी द्वारा चयनित कृषि सीआरपी का प्रशिक्षण 30 मई, 2017 तक पूर्ण कर लिया जावें।
9. परियोजना अंतर्गत ग्राम संगठन के माध्यम से लक्षित ग्रामों में प्रति ग्राम 100 महिला किसान का चयन 30 मई, 2017 तक पूर्ण कर लिया जावें।
10. चयनित महिला किसानों का प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर कृषि सीआरपी द्वारा 15 जून, 2017 तक पूर्ण किया जावें साथ ही प्रथम सीआरपी चक्र दिनांक 1 से 15 जून, 2017 तक चलाया जावें। प्रति 5 ग्राम हेतु 3 आंतरिक सीआरपी पुराने समुदाय आधारित संवहनीय कृषि (सी.एम.एस.ए) ग्रामों से उपलब्ध कराया जावें।
11. सभी लक्षित ग्रामों में कृषि उपकरण बैंक ग्राम संगठन स्तर पर दिनांक 15 जून, 2017 तक स्थापित किया जावें, जिस हेतु प्रति कृषि उपकरण बैंक राशि रूपये– 1 लाख 50 हजार रूपये का प्रावधान है। कृषि उपकरण बैंक में निम्नानुसार कृषि उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जावें। (मार्कर, कोनोविडर, अंबिकाविडर, पावरविडर, गेहूँ वीडर, साइकिल हो, फूट स्प्रैयर, ग्रान्र्डर मशीन, शाइथ एवं आधुनिक अन्य कृषियंत्र स्थापित किया जा सकता है।)

(सुरेश त्रिपाठी)
संयुक्त मिशन संचालक,NRLM
विकास आयुक्त कार्यालय
इंद्रावती भवन, नया रायपुर

//कृषि मित्र सीआरपी हेतु पॉलिसी//

1. **उद्देश्यः**– कृषि मित्र सीआरपी का मुख्य उद्देश्य ग्राम में सभी प्रकार के महिला किसानों को खेती बाड़ी से संबंधित तकनीकि सहायता जैसे–बीज,खाद, कीटव्याधि, अधिक उत्पादन के सिद्वांत, खर्च कम करने के सिद्वांत, घर में ही बनाये जा सकने वाले खेती बाड़ी की समस्त उत्पाद एवं संवहनीय कृषि से संबंधित समपूर्ण जानकारी प्रदाय हेतु समुदाय में एक सक्षम समुदायिक व्यक्ति तैयार करना है।

2. **चयन हेतु पात्रताः**– कृषि मित्र सीआरपी के चयन के हेतु निम्नलिखित पात्रता होगीः–
   - वह बिहान स्व सहायता समूह से जुड़ी हो।
   - वह कम से कम 8वीं पढ़ी हो।
   - कार्य हेतु इच्छुक एवं मिलनसार स्वभाव की हो।
   - उक्त सीआरपी हेतु परिवार से पूर्ण सहयोग हो एवं समूह, ग्राम संगठन एवं परिवार की सहमति प्रमाण पत्र हो।
   - समय समय पर विकासखण्ड,जिला अथवा राज्य कार्यलय में बैठक एवं आवासीय प्रशिक्षण हेतु जाने में सक्षम हो।
   - विधवा, परित्यागता, एंकाकी एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है।

3. **चयन की प्रक्रियाः**–
   - ग्राम संगठन/बीएमएमयू के माध्यम से कृषि मित्र–सीआरपी का कार्य करने हेतु इच्छुक महिलाओं की पहचान की जावेगी एवं उसका आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में तैयार किया जावेगा।
   - ग्राम संगठन की सहमति से पूर्व कृषि मित्र सीआरपी हेतु पहचान किये गए सदस्य के परिवार से इस संबंध में (उक्त सदस्य द्वारा 20–30 दिन ग्राम से बाहर जाकर प्रशिक्षण कार्य करने के संबंध में) सहमति लिया जाना आवश्यक होगा।
   - समस्त चयनित कृषि मित्र सीआरपी को एक माह के भीतर संबंधित जिले के बीएमएमयू/आर–सेटी/जिला इकाई द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

4. **कार्य एवं दायित्वः**–
   - महिला किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
   - प्रत्येक 15 दिवस में कृषक पाठशाला का आयोजन।
   - महिला किसानों को जानकारी प्रदान करना।
   - समय–समय पर जानकारी एकत्र करना।
   - कृषक समूह का संचालन में सहयोग एवं स्थापना।
   - विभिन्न प्रकार के जैविक कृषि उत्पाद का प्रर्दशन।
   - महिला किसानों हेतु प्रक्षेत्र मशीनों का प्रर्दशन करना।
   - प्रतिदिन 5–10 महिला किसान के प्रक्षेत्र में, घर में जाकर जानकारी प्रदान करना सुनिश्चित करना।
   - प्रति सप्ताह कम से कम सात समूहों में जाकर जानकारी प्रदान करना।

5. **कृषि मित्र सीआरपी का मानदेयः–**

- कृषि मित्र सीआरपी के माह में 20 दिन कार्य लिया जाना है, जिसका भुगतान प्रत्येक माह के कार्य एवं प्रगति प्रतिवेदन के पश्चात् 1125 रू. प्रति माह की दर अथवा 9 माह 1500 रू. की दर से दिया जावेगा।

6. **प्रतिवेदन की प्रक्रियाः–**

- कार्ययोजना अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न किया जायेगा।
- प्रत्येक प्रशिक्षण में कार्यदिवस हेतु पृथक–पृथक प्रतिवेदन तैयार किया जाये।
- प्रत्येक माह के अंत में 28 तारीख को प्रगति प्रतिवेदन जमा किया जावें।
- कार्ययोजना अनुसार प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न होने के उपरांत समस्त प्रतिवेदनों सहित कृषि मित्र सीआरपी की उपस्थिति सीएलएफ/ग्राम संगठन की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाये।
- ग्राम संगठन समूह के अनुमोदन कृषि मित्र सीआरपी के मानदेय संबंधित ग्राम संगठन/संकुल स्तरीय संगठन के माध्यम से सात दिवस के भीतर किया जायेगा।
- जिन विकासखण्डों में अभी ग्राम संगठन नहीं बना है वहां कृषि मित्र सीआरपी को मानदेय का भुगतान उपस्थिति के आधार पर सीधे विकासखण्ड इकाई/जनपद पंचायत कार्यालय द्वारा कृषि मित्र सीआरपी के बैंक खाते में किया जावेगा।
- विकासखण्ड कार्यालय 07 दिवसों में भुगतान की कार्यवाही पूर्ण करेगा।

7. **कृषि मित्र सीआरपी को कार्य से हटाने हेतु मापदंड एवं प्रक्रियाः–**

- कृषि मित्र सीआरपी द्वारा अपने कार्य एवं दायित्वों का बखूबी निर्वहन नहीं किया जा रहा हो।
- प्रशिक्षण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है या अपूर्ण जानकारी देकर केवल खानापूर्ति की जा रही हो।
- फर्जी प्रशिक्षण प्रतिवेदन तैयार कर देयक प्रस्तुत किये जा रहे हो।
- उक्तानुसार गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर ग्राम संगठन की अनुशंसा पर संकुल स्तरीय संगठन/बीएमएमयू द्वारा किसी भी समय बगैर किसी नोटिस के उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।